तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/11022/2000/जालौर सरकार बनाम कनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित–

श्रीमती पूनम माथुर, अति राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री गौरव दवे, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 16.09.2020

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर, जालौर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 26–08–1989 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार आहौर ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोदन स्थित आराजी खसरा 352 रकबा 1/3बीघा–गैर मु0बेरा, खसरा नम्बर 353 रकबा 45बीघा 12बिस्वा चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 362 रकबा 48बीघा बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 398 रकबा 104बीघा 06बिस्ववा बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 316 रकबा 38बीघा 12बिस्वाव बारानी प्रथम एवं खसरा नम्बर 322 रकबा 69बीघा 07बिस्वा भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री मामाजी वाकै देह पुजारी कनीराम मादाराम पिता नरसा कौम पुरोहित सा0 देह खुदकाश्त मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2009 लगायत 2028 में दर्ज थी किन्तु पुजारी द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 को खसरा नम्बर 352 व खसरा नम्बर 353 का बैचान करने से नामान्तरकरण संख्या 63 से खातेदारी में दर्ज कर दी। इसके

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/11022/2000/जालौर सरकार बनाम कनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पश्चात् इसी भूमि का बैचान अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 को कर दिया जिससे उनके हक में नामान्तरकण संख्या 188 स्वीकृत हुआ तथा खसरा नम्बर 362 का बैचान अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 के पक्ष में होने से नामान्तरकण संख्या 312 स्वीकृत हुआ। इसी प्रकार खसरा नम्बर 398 का बैचान अप्रार्थी संख्या–7 से 14 के पक्ष में पुजारी द्वारा किये जाने पर उक्त क्रेतागण के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 17 स्वीकृत हुआ। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या–11, 12, 15 व अप्रार्थी संख्या–10 ने 8 व 9 ने अप्रार्थी संख्या–17 को बैचान करने पर उनके हक में नामान्तरकण संख्या 42, 195 व 225 स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी संख्या–15 ने अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या–8 को बैचान करने पर उसके हक में नामान्तरकण संख्या 304 स्वीकृत हुआ। इस प्रकार पुजारी द्वारा उक्त भूमि का बैचान करने के कारण अप्रार्थीगण के हक में नामान्तरकरण संख्या 16, 42, 63, 192, 195, 225, 304 एवं 312 स्वीकृत कर विवादित आराजी की खातेदारी क्रेतागण के नाम दर्ज हुई, जो अवैध एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः विवादित आराजी को पुनः मन्दिर श्री मामाजी के नाम दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई विवादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–12–1989 से स्वीकार कर विवादित आराजी को मूर्ति मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण की ओर से मण्डल के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–08–2000 से स्वीकार कर पारित निर्णय को निरस्त करते हुए रेफरेन्स को पुनः नम्बर पर लिये जाने का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/11022/2000/जालौर सरकार बनाम कनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश पारित किया।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 तथा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को माफी मन्दिर की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। मूर्ति मन्दिर सतत अयवस्क है इस कारण माफी मन्दिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उनका कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण में पुजारी द्वारा मूर्ति मन्दिर की भूमि का बैचान किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से विवादित आराजी को पुनः माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

योग्य अधिवक्तागण अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी तथा पुजारी काश्तकार थे, जिनके नाम विवादित आराजी नियमानुसार दर्ज हुई। उसके उपरान्त खातेदार के द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में उनके पक्षकार का नाम दर्ज हुआ है। उनका कथन है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 10 के अनुसार माफीदार को तभी खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं जब भूमि उसकी खुदकाश्त की हो। वर्तमान प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि माफीदार की खुदकाश्त की न होकर कृषक की खातेदारी की थी। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक विलम्ब से रेफरेन्स प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/11022/2000/जालौर सरकार बनाम कनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुशंषाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम गोदन स्थित आराजी खसरा 352 रकबा 1/3बीघा–गैर मु0बेरा, खसरा नम्बर 353 रकबा 45बीघा 12बिस्वा चाही द्वितीय, खसरा नम्बर 362 रकबा 48बीघा बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 398 रकबा 104बीघा 06बिस्ववा बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 316 रकबा 38बीघा 12बिस्वाव बारानी प्रथम एवं खसरा नम्बर 322 रकबा 69बीघा 07बिस्वा भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री मामाजी वाकै देह पुजारी कनीराम मादाराम पिता नरसा कौम पुरोहित सा0 देह खुदकाश्त मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2009 लगायत 2028 में दर्ज थी किन्तु पुजारी द्वारा अप्रार्थी संख्या–3 को खसरा नम्बर 352 व खसरा नम्बर 353 का बैचान करने से नामान्तरकरण संख्या 63 से खातेदारी में दर्ज कर दी। इसके पश्चात् इसी भूमि का बैचान अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 को कर दिया जिससे उनके हक में नामान्तरकण संख्या 188 स्वीकृत हुआ तथा खसरा नम्बर 362 का बैचान अप्रार्थी संख्या 4, 5 व 6 के पक्ष में होने से नामान्तरकण संख्या 312 स्वीकृत हुआ। इसी प्रकार खसरा नम्बर 398 का बैचान अप्रार्थी संख्या–7 से 14 के पक्ष में पुजारी द्वारा किये जाने पर उक्त क्रेतागण के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 17 स्वीकृत हुआ। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या–11, 12, 15 व अप्रार्थी संख्या–10 ने 8 व 9 ने अप्रार्थी संख्या–17 को बैचान करने पर उनके हक में नामान्तरकण संख्या 42, 195 व 225 स्वीकृत हुआ। अप्रार्थी संख्या–15 नेअपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या–8 को बैचान करने पर उसके हक में नामान्तरकण संख्या 304 स्वीकृत हुआ। इस प्रकार पुजारी द्वारा उक्त भूमि का बैचान करने के कारण अप्रार्थीगण के हक में नामान्तरकरण संख्या 16, 42, 63, 192, 195, 225, 304 एवं 312 स्वीकृत कर विवादित आराजी की खातेदारी क्रेतागण के नाम दर्ज हुई, जो अवैध एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/11022/2000/जालौर सरकार बनाम कनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 20091 से 2028 में विवादित आराजी मूर्ति मन्दिर की खुद काश्त की भूमि दर्ज है। मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है तथा मन्दिर मूर्ति की खुदकाश्त भूमि पर पुजारी अथवा किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। प्रस्तुत प्रकरण में मूर्ति मन्दिर की विवादित आराजी बिना किसी आधार के पुजारी के नाम खातेदारी में दर्ज हुई तथा पुजारी द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से विवादित आराजी का बैचान किया गया है, जो अवैध एवं नियम विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 व 46 के अनुसार नाबालिग व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि की काश्त अन्य व्यक्ति द्वारा करवाई जा सकती है और इसी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नाबालिग द्वारा करवाई गयी काश्त उसके स्वयं द्वारा की गयी ही मानी जावेगी। नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है और यदि खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो भी गये है तो वह प्रभाव शून्य ही माने जावेगें। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि मूर्ति मन्दिर सतत अवयस्क है उसकी खुदकाश्त खातेदारी की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी बाबत् स्वीकृत समस्त नामान्तरकरणों एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी के इन्द्राज को निरस्त किया जाकर उक्त विवादित को मूर्ति मन्दिर मामाजी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/11022/2000/जालौर सरकार बनाम कनीराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	